

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/5361


दिनांक: 10/12/19

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4321 दिनांक 25.09.2019 एवं 5222 दिनांक 27.11.19 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	डीडीओ कोड	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1.	श्री रामचरण मीणा, AAO-I (अतिरिक्त प्रभार) मो० नं० 9928857074 सुश्री रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार, दल सदस्य जोन-कोटा-द्वितीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगंजमण्डी, कोटा	23360	04/15 से 03/19	22.11.19 से 10.12.19 -	22.11.19 से 20.12.19

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/
अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य निर्धारित
अवधि में सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।



10/12/19
वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/

दिनांक: - - - -

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
4. श्री रामचरण मीणा, AAO-I दल सदस्य, सुश्री रश्मि जोनवाल, क० लेखाकार जोन-जयपुर को पालनार्थ।
5. चि० अधिकारी प्रभारी, सामु० स्वा० केन्द्र, रामगंजमण्डी (कोटा)।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।


10/12/19
वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर